भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 616

जिसका उत्तर 05 फरवरी, 2020 को दिया जाना है।

16 माघ, 1941 (शक)

एम-एसआईपीएस

616. **श्री राहुल रमेश शेवाले:**

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकार द्वारा कार्यान्वित संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम-एसआईपीएस) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) उक्त योजना की शुरुआत से लेकर अब तक, इसके अंतर्गत सरकार को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उक्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश भर में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितना निवेश किया गया है और उक्त अवधि के दौरान अब तक देशभर में उक्त निवेश से कितने रोजगार सृजित हुए हैं;

(घ) उक्त योजना के तहत अब तक पूंजीगत व्यय में निवेश के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई राजसहायता का ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) देश में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावे देने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) : संशोधित विशेष प्रोत्साहन योजना (एम-सिप्स) दिनांक 27 जुलाई, 2012 को अधिसूचित किया गया था। योजना की अवधि विस्तारित करने, 15 और उत्पाद क्षेत्रों को शामिल करके योजना के कार्य क्षेत्र को बढ़ाने और अधिक निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से इस योजना को अगस्त, 2015 में संशोधित किया गया है। निवेशों में तेजी लाने के लिए इस योजना को जनवरी, 2017 में फिर से संशोधित किया गया।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :-

(i) यह योजना पूंजीगत व्यय के लिए सब्सिडी प्रदान करती हैं- विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एस.ई.जेड) में निवेश के लिए 20% और गैर विशेष आर्थिक क्षेत्रों (नॉन एसईजेड) के लिए 25%।

(ii) यह योजना 31.12.2018 तक आवेदन प्राप्त करने के लिए खुली थी।

(iii) प्रोत्साहन आवेदन की स्वीकृति की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध है।

(iv) प्रोत्साहन नई यूनिटों और विस्तारित यूनिटों दोनों के लिए उपलब्ध हैं।

(v) प्रोत्साहन पूरे इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण मूल्य श्रृंखला को कवर करने वाले 44 श्रेणियों/क्षेत्रों के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और संघटकों के लिए उपलब्ध है।

(ख) : योजना के तहत 397 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और वे विचाराधीन है। प्रस्ताव की स्थिति निम्नानुसार हैं :-

	संख्या	**निवेश (करोड़ रु.में)**	**प्रतिबद्ध प्रोत्साहन (करोड़ रु.में)**
स्वीकृत	252	72,048	7,080
मूल्यांकन के तहत	145	36,076	-
कुल	**397**	**1,08,124**	**7,080**

(ग) : एम-सिप्स के तहत स्वीकृत आवेदकों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट के अनुसार एम-सिप्स के तहत इस परियोजना के लिए इन आवेदकों द्वारा किए गए निवेश का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

राज्य	**यूनिटों की संख्या**	**मार्च 2018 तक व्यय किया गया कैपेक्स (करोड़ रु.में)**	**अप्रैल 2018 से 2019 तक व्यय किया गया कैपेक्स (करोड़ रु.में)**	**अप्रैल 2019 से 2020 तक व्यय किया गया कैपेक्स (करोड़ रु.में)**	**रोजगार (प्रत्यक्ष + अप्रत्यक्ष)**
आंध्र प्रदेश	5	25	43	30	978

दमन	1	-	14	0	1634
गोवा	7	9	59	125	1639
गुजरात	14	124	58	3555	6668
हरियाणा	25	442	327	390	9719
हिमाचल प्रदेश	3	-	20	15	519
कर्नाटक	28	1096	810	459	5532
केरल	4	110	0	0	5778
मध्य प्रदेश	2	-	21	46	249
महाराष्ट्र	36	1556	369	1011	11194
राजस्थान	8	601	117	366	3930
तमिलनाडु	13	217	193	465	8368
तेलंगाना	3	4	26	164	770
उत्तर प्रदेश	22	219	2991	1057	43305
उत्तराखंड	3	57	5	21	2350
पश्चिम बंगल	4	243	0	73	2033
गोवा/महाराष्ट्र/तमिलनाडु/उत्तर प्रदेश	1	-	7	0	188
तेलंगाना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश	1	96	0	24	1845
महाराष्ट्र और कर्नाटक	1	7	0	69	2675
तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश	1	96	17	105	11240
	182	**4902**	**5077**	**7976**	**120614**

(घ) : आज की स्थिति के अनुसार 897.07 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि 71 आवेदकों को वितरित की गई है।

(ङ) : भारत में इलेक्ट्रॉनिकी और हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

i. **राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2019**: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी नीति 2019 (एनपीई 2019) को 25.2.2019 को अधिसूचित किया गया है। एनपीई का उद्देश्य चिपसेट सहित मुख्य अवयवों का विकास करके और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा और उद्योगों के लिए सक्षम महौल बनाने हेतु देश में क्षमताओं को प्रोत्साहित करके इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए वैश्विक हब के रूप में भारत को स्थापित करना है।

ii. **100% एफडीआई :** लागू कानूनों/विनियमों; सुरक्षा और अन्य शर्तों के अध्यधीन इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद विनिर्माण के लिए मौजूदा एफडीआई नीति के अनुसार स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% तक की एफडीआई की अनुमति है।

iii. **इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण कलस्टर (ईएमसी) योजना:** इलेक्ट्रॉनिकी सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (इएसडीएम) क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने हेतु सामान्य सुविधाओं के साथ-साथ विश्व स्तरीय अवसंरचनाके सृजन हेतु सहायता प्रदान करने के लिए विनिर्माण कलस्टर योजना को 22 अक्टूबर, 2012 को अधिसूचित किया गया। इस योजना के अंतर्गत, 1577 करोड़ रू. के सरकारी सहायता अनुदान सहित 3898 करोड़ रू. की अनुमानित राशि के साथ 3565 एकड़ क्षेत्र में फैले 20 ग्रीनफील्ड ईएमसी और 3 सामान्य सुविधा केंद्रो (सीएफसी) के लिए अनुमोदन दिया गया है।

iv. **इलेक्ट्रॉनिक विकास निधि (ईडीएफ):** इलेक्ट्रॉनिकी, नैनो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों का विकास करने वाली कंपनियों को जोखिम पूंजी उपलब्ध कराने के लिए ईडीएफ स्थापित किया गया है। आइएनआर 5500 करोड़ रू. की लक्षित राशि के साथ,11 डॉटर निधियों के लिए ईडीएफ द्वारा 659 करोड़ रू. प्रतिबद्ध किए गए हैं।

v. मोबाइल हैंडसेटों तथा उसके भागों/संघटकों के विनिर्माण में घरेलू मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए **चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी)** को अधिसूचित किया गया है।

vi. को इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के घरेलू स्तर पर विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए **शुल्क ढांचे** को युक्तिसंगत बनाया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मोबाइल हैंडसेट, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक संघटक, टीवी के लिए सेट-टॉप बॉक्स, एलईडी उत्पाद, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिकी उपस्कर शामिल हैं।

vii. **पूंजीगत माल पर आधारभूत सीमा शुल्क :** सरकार ने आधारभूत सीमा शुल्क से विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामान के विनिर्माण हेतु अधिसूचित पूंजीगत सामग्री के आयात पर भी छूट दी है।

viii. **प्रयोग किए गए प्लांट और मशीनरी का सुगम आयात:** दिनांक 11.06.2018 की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के जरिए परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियमावली, 2016 के संशोधन के जरिए इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण उद्योग द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए कम से कम 5 वर्ष के अवशिष्ट जीवनकाल वाले प्लांट और मशीनरी के आयात की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

ix. **उत्पाद के जीवकाल संबंधी प्रतिबंध में छूट:** राजस्व विभाग ने दिनांक 11.09.2018 की अधिसूचना संख्या 60/2018-कस्टम के जरिए दिनांक 14.11.1995 की अधिसूचना संख्या 158/95-कस्टम में संशोधन किया है, जिसके अतंर्गत भारत में विनिर्मित विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सामग्री और सुधार कार्य या स्थिति में सुधार के लिए भारत में पुन: आयात की गई वस्तुओं के लिए आयु सीमा को शिथिल करते हुए 3 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष किया है।

x. **अनिवार्य पंजीकरण आदेश (सीआरओ) :** भारत में घटिया और असुरक्षित इलेक्ट्रॉनिकी सामनों के आयात पर अंकुश लगाकर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एमईआईटीवाई ने आवश्यक अनुपालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी सामान (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश, 2012 अधिसूचित किया है।

*****